

आदेश का  
क्रम संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कारवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख के  
साथ।

07/07/2022



प्रण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

बी० बी० सी० पुनरीक्षण 152/2011

श्रीमती विलास देवी बनाम् सतीश कुमार

प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा बी० बी० सी अपील संख्या-104-R15/2008-09 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। मूलतः मौजा-हिन्नु, टेंगराटोली में आर० एस० खाता नम्बर-471/497 (आंशिक) रकबा-8 फीट 6 इंच × 20 फीट दुकान के किराया निर्धारण से संबंधित है। भवन नियंत्रक द्वारा प्रश्नगत दुकान का किराया 1300/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। आवेदकों का मुख्य दावा लीज की समाप्ति के पश्चात्, मकान मालिक एवं किरायेदार का सम्बन्ध समाप्त होने के कारण किराया निर्धारण के बिन्दु पर आधारित है। प्रश्नगत वाद में अपीलार्थी की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक-03.09.2019 को दर्ज की गयी, जिसके बाद से वे लगातार अनुपस्थित हैं। उन्हें दिनांक-06.01.2022, 24.02.2022, 28.05.2022 तथा 04.07.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।

प्रश्नगत वाद में आवेदक एवं विपक्षी के बीच दिनांक-01.10.2010 से 31.09.2005 तक 03 वर्षों के लिये उक्त दुकान के 800/- रुपया प्रतिमाह किराया निर्धारित करते हुये एक लीज किया गया था। उक्त परिसर की दण्डाधिकारी से जाँच करायी गयी, जिसके पश्चात् भवन नियंत्रक द्वारा किराये का निर्धारण किया गया। भवन नियंत्रक के न्यायालय में प्रश्नगत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किराये निर्धारण के बिन्दु पर आवेदकों की तरफ से सहमति व्यक्त की थी, जैसा कि स्पष्ट रूप से आदेश में उल्लेखित है। इस प्रकार उभयपक्षों की सहमति से किराया निर्धारण होने के पश्चात् आवेदकों के द्वारा पुनः उसी किराये निर्धारण को अपीलीय

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कारवाइयों के बारे में टिप्पणियाँ तारीख के साथ।
	<p>न्यायालय में चुनौती दी गयी एवं अपने-आप को किरायेदार एवं मकान मालिक के संबंध नहीं होने के बिन्दु पर प्रश्न उठाया गया। विचारणीय है कि भवन नियंत्रक के न्यायालय में आवेदक एवं विपक्षी की तरफ से मकान मालिक एवं किरायेदार के संबंध के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। अपीलिय न्यायालय में तथा इस न्यायालय में आवेदकों के तरफ से यह बिन्दु उठाया गया है। अपीलार्थी लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें प्रश्नगत वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है। यह विषय विगत 11 वर्षों से लम्बित है। अतः उभयपक्षों के बीच इस दौरान समझौता होने की भी संभावना है, क्योंकि भवन नियंत्रक के न्यायालय में उभयपक्षों की सहमति से किराये का निर्धारण किया जा चुका है, अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               प्रमण्डलीय आयुक्त         </p> <p style="text-align: right;">               प्रमण्डलीय आयुक्त         </p>	